अस्थायी दुकान हेतु नीलामी समिति का कार्यवृत, जनपद न्यायालय बागपत।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 16.04.2025 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिये जनपद न्यायालय बागपत की बाहर प्रस्तावित स्थल पर शेष गेट संख्या-2 के दक्षिण में स्थित स्थान संख्या-J एवं गेट संख्या-03 के उत्तर में स्थान संख्या- C,D,H अस्थायी 04 दुकानों के स्थान आवंटन हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति की बैठक आज दिनांक 17.04.2025 को समय सायं 01:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में सम्पन्न की गयी।

बैठक में नीलाम समिति के सदस्य श्री रत्नम श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत एवं श्री प्रवीण कुमार प्रियदर्शी, सिविल जज जूनियर डिवीजन/त्वरित बागपत उपस्थित आयें। नीलाम समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त 04 अस्थायी दुकानों हेतु स्थान आवंटन की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय बागपत स्थित सम्मेलन कक्ष में 22.04.2025 को खुली बोली द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया। नीलामी में भाग लेने के लिये सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/baghpat एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर नोडल अधिकारी बागपत के द्वारा अपलोड करायी जायेगी तथा इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कभी भी देखा व जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। किसी भी व्यक्ति/फर्म द्वारा केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से उक्त नीलामी के संबंध में जानकारी की जा सकती है एवं फार्म दिनाँक 21.04.2025 को दोपहर 01.00 बजे से पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं।

04 अस्थायी दुकानों का स्थान विवरण

क्र.सं.	दुकान का विवरण	भूमि का विवरण
01	गेट संख्या-03 के उत्तर में 03 अस्थायी दुकान हेतु स्थान संख्या क्रमशः C,D,H	प्रत्येक स्थान का क्षेत्रफल 20X15 फिट
02	गेट संख्या-02 के दक्षिण में 01 अस्थायी दुकान हेतु स्थान संख्या J	प्रत्येक स्थान का क्षेत्रफल 20X15 फिट

नीलामी की शर्तें निम्नवत हैः-

16. प्रत्येक अस्थायी दुकान हेतु स्थान का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-2026 (22 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) तक के लिये होगा।
17. जिस व्यक्ति/फर्म के ओर अस्थायी दुकान हेतु स्थान आवंटन के किराये से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर आवटंन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त आवटंन की पुनः बोली करायी जा सकेगी।
18. न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
19. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
20. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिये प्रत्येक अस्थाई दुकान हेतु स्थान आवंटन की बोली अलग – अलग व्यक्ति/फर्म द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।
21. किसी व्यक्ति/फर्म के पक्ष में एक अस्थाई दुकान हेतु स्थान आवंटित होने पर किसी भी दशा में दूसरी अस्थाई दुकान हेतु स्थान का आवंटन नही किया जायेगा।
22. **वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि हेतु प्रत्येक अस्थायी दुकान के स्थान आवंटन की न्यूनतम बोली 31680/- रूपये/वार्षिक से आरम्भ की जायेगी।**

23. जिस व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति/फर्म अपनी दुकान स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर आवटंन निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।

24. नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी।

25. नीलामी की बोली स्वीकृत होने के उपरान्त व्यक्ति/फर्म को बोली की धनराशि का 25% तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि को तीन किस्तों में प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर आवटंन को निरस्त कर सकते है।

26. अस्थायी दुकान हेतु स्थान के आवंटी व्यक्ति/फर्म को अपने आवंटित अस्थायी दुकान के स्थान के आस-पास की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी।

27. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर सकते है। अस्थाई दुकानो के आसपास सफाई न पाये जाने पर अस्थाई दुकान का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

28. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड दाखिल करना होगा।

29. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवंटित स्थल पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा न ही आवंटित स्थल का प्रयोग किसी गैर-कानूनी कार्य के लिये करेगा।

30. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को उक्त सभी शर्तों का पालन करने के सम्बन्ध में अंकन 100/- रूपये के स्टॉम्प पर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Praveen Kumar Priyadarshi 12.04.25

प्रवीण कुमार प्रियदर्शी
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज जू0 डिवीजन/त्वरित,
बागपत।

17/04/25

रत्नम श्रीवास्तव
सदस्य ठेका नीलामी समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत।

17/04/25

पवन कुमार रोष
अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय संख्या-01 बागपत।

Approved
17/4/2025
District Judge
Baghpat